

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

सूचना

क्रमांक एफ-3-86/2021/18-5 :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, राज्य सरकार द्वारा उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, म0प्र0।
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, म0प्र0।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन, म0प्र0।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म0प्र0।

2/ उज्जैन विकास योजना (प्रारूप) 2035 में उपांतरण संबंधी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) में जारी सूचना दिनांक 01/04/2022 (म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 08.04.2022 को प्रकाशित) पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि, निम्न दो उपांतरण विलोपित करते हुये उज्जैन विकास योजना (प्रारूप) 2035 को अंतिम किया जायें :-

1/ अनुसूची की कंडिका क्रमांक-2 सरल क्रमांक-15 (4) अध्याय-6 विकास नियमन की कंडिका-6.27 के बिन्दु क्रमांक-1 को प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

2/ अनुसूची की कंडिका क्रमांक-2 सरल क्रमांक-17(1) में क्रमांक-7 पर गऊघाट से सावराखेड़ी को जोड़ने हेतु नदी पर ब्रिज।

टीप :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23-क(1)(ख) के तहत जिस भूमि पर उपयोग उपांतरण संबंधी प्रकरण अंतिम अधिसूचना जारी किये जाने हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम-15 उपनियम-(15) के प्रभावशील होने की दिनांक 29.08.2022 के पूर्व विभाग को प्राप्त हो गये थे एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के पूर्व उज्जैन विकास योजना-2035 में उनका समाधान हो जाता हो, उन पर उज्जैन विकास योजना 2035 के भूमि उपयोग प्रस्ताव तभी प्रभावशील होंगे जब उस पर भू-उपयोग उपांतरण संबंधी लेखी विभाग में जमा करा दी गई हो।

3/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 की उपधारा-(5) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

क्र. एफ-03-86-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक- एफ-03-86-2021-अठारह-5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2023

NOTICE

No. F-3-86/2021/18-5 : Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Ujjain (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

- 1- Commissioner, Ujjain division Ujjain, M.P.,
- 2- Collector, District Ujjain, M.P.,
- 3- Commissioner, Municipal Corporation, Ujjain, M.P.,
- 4- Joint Director, Town & Country Planning, District Office Ujjain, M.P.,

2/ Objection/suggestion received within the stipulated time period on the notification dated 01-04-2022 (Published in State Gazette on 08-04-2022) regarding modification in Ujjain Development Plan, 2035 were heard and it has been decided that :-

The following two proposed modifications be deleted and Ujjain Development Plan be finalized: -

- 1- Proposal regarding substitution of clause 6.27 of chapter 6 Development regulations, mentioned in point no 2 serial no. 15 (4) of the schedule.
- 2- Bridge joining Gaughat to Sawarakhedi on river mentioned is serial no. 7 of point no 17 (1) of the schedule.

Note- The cases regarding modification in development Plan under section 23-a(1)b, which have been received in the department before coming into effect of sub rule 15 of rule 15 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 get resolved in Ujjain Development Plan, 2035 shall only be effective, when the levy regarding change of land use is deposited with the department.

3/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.
